माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः माशिबो / गोप / 2023 – 036 दिनांक 18-1-23

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (मुख्यालय) .... राजस्थान)

विषय–उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा–2023 बाबत।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अतः आपके अधीनस्थ शाला प्रधानों को तदनुसार सूचित करते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड नियमानुसार सम्पादित कराने का श्रम करावें :–

1. वर्ष 2023 के नियमित परीक्षार्थियों की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 19 जनवरी, 2023 से 18 फरवरी, 2023 के मध्य एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएँ दिनांक 13 फरवरी, 2023 से 18 फरवरी, 2023 के मध्य सम्पादित की जायेंगी।
2. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित विद्यालयों की सामग्री यथा उत्तर–पुस्तिकाएँ, ग्राफ पेपर, ड्रॉईंग शीट्स (भूगोल व चित्रकला प्रायोगिक परीक्षा हेतु) आदि बोर्ड द्वारा बनाये संग्रहण वितरण केन्द्रों पर भिजवाई गई है। शाला प्रधान इन केन्द्रों से प्रायोगिक परीक्षा सामग्री प्राप्त करें।
3. उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2023 के नियमित परीक्षार्थियों की विषयवार प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्पादन हेतु बोर्ड द्वारा जिले के राजकीय विद्यालयों के शाला दर्पण पर पंजीकृत विषयाध्यापकों से सम्पन्न कराई जायेंगी। विद्यालयों में नियुक्त विषयवार परीक्षकों की सूची विद्यालयों के लॉगिन आई.डी. पर भिजवाई जायेगी। संबंधित शाला प्रधान नियुक्त परीक्षकों से उनके मोबाइल पर सम्पर्क कर परीक्षा की तिथियों का निर्धारण करें।
4. प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियों के निर्धारण की सूचना विद्यालय द्वारा उनके विद्यार्थियों को सूचित करावें एवं एक प्रति विद्यालय के सूचनापट्ट पर भी चस्पा करावें। परीक्षक से निर्धारित तिथि की सूचना जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कक्ष पर कम से कम तीन दिन पूर्व सूचित करावें तथा बोर्ड के नियंत्रण कक्ष पर भी सूचित करावें। समस्त बाह्य परीक्षक परीक्षा आयोजन की तिथि की सूचना बोर्ड के नियंत्रण कक्ष / ई मेल पर आवश्यक रूप से देंगे
5. उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों को एक से अधिक विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षाएँ लेने हेतु नियुक्त किया गया है। अतः सभी विद्यालय परीक्षक से सामन्जस्य बैठाकर परीक्षा तिथियों का निर्धारण करें। परीक्षकों की नियुक्ति कम्प्यूटर से रेण्डमली की जायेगी। यदि किसी परीक्षक की नियुक्ति उसी विद्यालय में होती है तो इसकी सूचना बोर्ड नियंत्रण कक्ष पर तुरन्त दी जाये जिससे उनके आवंटन में परिवर्तन किया जाये।
6. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि को अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक से उसी विद्यालय में लिये जा रहे अन्य बैच में शाला प्रधान की विशेष अनुमति से कराई जा सकेगी। किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परीक्षार्थी को अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी कर दिया जायेगा जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
7. प्रायोगिक परीक्षाएँ बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार सम्पन्न कराई जायेगी। विषयवार दिशा निर्देश बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard-rajasthan.gov पर जारी किये गये हैं। शाला प्रधान विषयवार प्रायोगिक परीक्षा में निर्देशों की एक प्रति संबंधित परीक्षक को भी उपलब्ध करावें।
8. प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन दो बैचों में सम्पन्न करावें किन्तु किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है तथा विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है तो परीक्षा तीन बैच में भी सम्पन्न कराई जा सकती है। प्रायोगिक परीक्षा में उचित दूरी (Social Distancing) का पालन किया जाये।

कृ.प.उ.

9. **अनुचित साधन** :– परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग, दुराचरण, दुर्व्यवहार आदि की रोकथाम हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत बनाये जाने वाले प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जावे। इस संबंध में परीक्षार्थी व प्रकरण का सम्पूर्ण विवरण देते हुए मामले की रिपार्ट पुलिस थाने पर दर्ज करा दें। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही आप सभी परीक्षार्थियों को इस अधिनियम के प्रावधानों से स्पष्टतः अवगत करा दें व इनका उल्लघंन किये जाने पर दी जाने वाली सजा व शास्ति की राशि के बारे में भी उन्हें जानकारी दे दें। साथ ही उन्हें यह भी सूचित कर दें कि इसी के साथ–साथ बोर्ड की ओर से भी उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी व नियमानुसार दण्डित होंगे। सूचनापट्ट पर बड़े–बड़े अक्षरों में ''अनुचित साधनों का प्रयोग करना, अनुचित सहयोग करना निषेध है। उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक की सजा या ऐसे जुर्माने से जो 2000/– तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा'' लिख दें। विस्तृत प्रावधान, प्रक्रिया आदि मुख्य परीक्षा की परीक्षा संचालन निर्देशिका में मुद्रित है।

10. **मीडिया** :– शाला स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को किसी प्रकार की जानकारी/वक्तव्य नहीं दें, न ही किसी प्रकार की फोटो लेने दें। किसी भी व्यक्ति द्वारा जानकारी चाहे जाने पर बोर्ड सचिव से सम्पर्क करने हेतु निवेदन कर दें। परीक्षा की समस्त सूचनाएँ गोपनीय रखी जावे।

11. विद्यालय/बाह्य परीक्षक कोई यदि किसी भी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित अनियमितता अथवा नियम विरूद्ध आचरण/कार्यवाही की शिकायत है तो ऐसी शिकायत/सूचना विवरण सहित परीक्षा पूर्व/परीक्षा दौरान बोर्ड को ई मेल आई. डी. bserconf2018@gmail.com एवं बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145–2620739, 2623776 पर सूचित कराये। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ऐसी सूचनाओं, शिकायतों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं दुर्भावनावश शिकायत करना माना जायेगा।

12. समस्त बाह्य परीक्षक उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी विद्यालय में नहीं करेंगें। विद्यालय की परीक्षा सम्पन्न कराने के तीन दिवस में बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक पर ऑनलाईन अंक भिजवायेंगे तथा उत्तर–पुस्तिकाएं उन्हें आवंटित बैच के सभी विद्यालयों की परीक्षाएँ सम्पन्न कराने के 07 दिवस में बोर्ड को पंजीकृत डाक/पार्सल से भिजवायेंगे।

13. बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक को ऑनलाईन अंक भरने हेतु SMS से परीक्षक क्रमांक की सूचना भिजवाई जायेगी तथा लॉगिन करने के लिए परीक्षक क्रमांक व मोबाईल नम्बर प्रविष्ठ करना होगा। प्रविष्ठि करने पर परीक्षक के मोबाईल पर OTP आयेगा। इसके पश्चात् परीक्षक को अपनी प्रोफाईल भरनी होगी तथा प्रोफाईल भरने के बाद ऑनलाईन अंक भरें जायेंगे। इसकी विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट पर प्रपत्र संख्या 51 के साथ अपलोड की गई है। परीक्षक द्वारा ऑनलाईन भिजवाये गये अंकों की हार्डकॉपी एक लिफाफे में एवं उपस्थिति पत्रक तथा कच्चे अंक दूसरे लिफाफे में रखें जायेंगे। इन दोनों लिफाफों को बोर्ड द्वारा भेजे अन्य लिफाफे में रखकर अपना विषय एवं परीक्षक क्रमांक पूर्ण अंकित करते हुए निदेशक (गोपनीय), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से तुरन्त भिजवायेंगे।

14. परीक्षक को आवंटित विद्यालयों के बनाये गये बैच में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

15. बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं का आकस्मिक निरीक्षण कराया जायेगा। किसी भी विद्यालय अथवा परीक्षक द्वारा नियम विरूद्ध कार्य पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

16. प्रायोगिक परीक्षा के सम्पादन में किसी प्रकार की जानकारी के लिये संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अथवा बोर्ड के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145–2620739, 2623776 तथा प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकाएं, ड्राईग शीट्स, भूगोल शीट्स व ग्राफ के संबंध में दूरभाष संख्या 0145–2623949 पर सम्पर्क किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा परीक्षा से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से भी दी जायेगी। अतः समस्त शाला प्रधान एवं नियुक्त बाह्य परीक्षक बोर्ड वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

17. प्रायोगिक परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय में भी परीक्षा प्रारम्भ से परीक्षा समाप्ति तक गतवर्षों अनुसार प्रायोगिक परीक्षा, नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेंगे। जिनमें दो लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी देंगे। कार्यरत लिपिक को रू. 100/– प्रतिदिन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू. 50/– मानदेय देय होगा। उक्त मानदेय का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर बोर्ड द्वारा देय होगा।

भवदीय,

18/1/2021

निदेशक (गोपनीय)